तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री नोरतमल बाबेल पुत्र श्री बिरदीचन्द्र बाबेल, बाबेल सदन मेवाड़ी गेट के अन्दर, ब्यावर जिला ब्यावर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :– 61/2024 जीसीएमएस नं. :– 2024/114 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रोहट से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट का एक पत्र क्रमांक/रा.लो.सू.अ./2024/156 दिनांक 01.05.2024 प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को कार्यालय को उपस्थित होकर रेकर्ड का अवलोकन कर सूचना दिये जाने बाबत् अवगत करवाया हुआ है। 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 5. निर्णय आज दिनांक **08.08.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	